

S.C. 23
Milk

in the High court of Judicature Patna

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. Of 2014

Ram Narayan Sah

..... Petitioner

vs.

The State of Bihar, through the Secretary, Food & Supply Department,
Govt. of Bihar, Patna, Bihar,

..... Respondents

Sub :- E.C Act (Suspension of PDS license)

Index

Sl. No.	Particulars	Appendix	Page No.
0.	Synopsis		1-11
01.	A writ petition with Affidavit under article 226 of Constitution of India.		
02.	A Photocopy of memo no. - 133-2 dated 24/06/2009 by which the PDS license of petitioner has been suspended.	1	12
03.	A Photocopy of memo no - 390-2 dated 02/06/2009 by which the PDS license of petitioner has been suspended, by which show-cause has been asked.	2	13
04.	A Photocopy of reply of show-cause of the	3	14

petitioner dated 05/06/2009

05. A Photocopy of letter no. - 134 dated 27/03/2009 issued by SDO, Ghailar, Madhepura by which the allotted grain has been properly distributed among the beneficiaries. 4 15
06. A Photocopy of letter dated 14/03/2009 sent by Nageshwar Choudhary to the Block Supply Officer, Ghailar, Madhepura regarding the total allotted grain to the petitioner has been properly distributed and the amount has been given to petitioner. 5 16
07. A Photocopy of application dated 19/08/2009 sent by the petitioner to the SDO, Madhepura regarding the revoke of the suspension of PDS license of the petitioner. 6 17/18
08. A Photocopy of application dated 06/03/2010 of petitioner sent to collector of Madhepura regarding the revoke the suspension of PDS license of the petitioner. 7 19

09. A photocopy of non-ole court order dated 27/09/2010 of CMJC NO. 5260 of 2010 8
10. A Photocopy of final judgment dated 02/04/2014 of GR no. – 808/2009 and trial no. – 1494/2014 of Ghailar P.S Case no. 217/2009 passed by SUJM, Madhepura in which petitioner has 9
11. A Photocopy of representation dated 19/05/2014 of petitioner to SDO, Madhepura and Hon'ble High Court order/direction dated 27/09/2010. 10

20-21

22-26

27

12

MAHARAJA

Signature of the Advocate

Date :

Poojit Jha

Place : Patna

A.O.R No. – 05074

In the High court of Judicature Patna

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. _____ Of 2014

Shri Manoj Kumar Singh

Petitioner

Vrs.

The State of Bihar, through the Secretary, Food & Supply Department, Gov
of Bihar Patna & Others Respondents

Sub :- E.C Act (Suspension of PDS License)

Synopsis

This writ application is being filed for a direction to revoke the suspension of PDS License no. – 35/93 of the petitioner contained in Annexure – 1 as the same has been put under suspension for more than 90 days on merely on the ground of fake and baseless F.I.R lodged by the authority bearing P.S case no. – 217/2014 under 7 E.C Act in which the allegation against the petitioner that he has unauthorized store for distribution of PDS rice is not true and the rice which has already been distributed among consumers through another dealer which is evident from annexure – 5 to this writ application.

That petitioner filed application before the SDO, Patna as well as the Collector of Madhepura for necessary action to revoke the suspension

of his PDS license (by annexures – 6 & 7) but no action has been taken in the matter of most illegal and arbitrary manner. Thereafter petitioner has approached before the Hon'ble High Court for redressal of his grievances by way of CWC No. 5260/2010 which has been heard and direction has been made to the authority that after concluding the criminal case petitioner will be liberty to approach the authority for the revocation of the suspension of the PDS license and the authority's concern shall disposed of the same in accordance with law.

It is stated that the criminal case regarding the PDS license against the petitioner has been concluded and petitioner awarded acquittal from the said case. Therefore the suspension of the PDS license of petitioner should be revoke in the larger interest of justice.

Thereafter petitioner has filed a representation before the SDO, Madhepura along with the acquittal order as well as Hon'ble High Court order on 19/05/2014 but the authority has directed to the petitioner first you have approached before the Hon'ble Court for the direction to revoke suspension of PDS license of the petitioner.

Hence this writ application.

Date of Event

- On 02.06.2009** The amnesty given for 5200 quintal and the BSO given 50000 quintal has been referred to the fair price shop of petitioner. And on the same date BSO of Ghailar, Madhepura had been inspected the said shop of the petitioner.
- On 02.06.2009** A show-cause has been asked by the SDO Madhepura to the petitioner. **By Annex. 2**
- On 05.06.2009** A reply of show cause of the petitioner has been submitted before the SDO Madhepura. **By Annex. 3**
- On 05.06.2009** The BSO Ghailar issued a letter to lodge the FIR against the petitioner under 7 F C Act.
- On 07.06.2009** An FIR no. - 217/2009 has been lodged against the petitioner in Ghailar (Madhepura) P S under 7 F C Act.
- On 24.06.2009** Vide memo no. - 133-2/Madhepura dated 24/06/2009, the PDS license no. - 35/93 of petitioner has been suspended from the immediate effect. **By Annex. 1**

- On 19.08.2009** An information letter has been sent by the another dealer to SDO, Madhepura, regarding the distribution of allotted grain to the petitioner among the beneficiaries and collects its price.
By Annex. 5
- On 19.08.2009** Petitioner has filed an application before the SDO Madhepura regarding the revoke the suspension of his PDS license no. – 35/93.
By Annex. 6
- On 24.08.2009** A letter no. – 134 dated 24/08/2009 issued by BSO, Ghailar (Madhepura) to the SDO, Madhepura regarding the total allotted grain of petitioner has been distributed among the antoday and BPL beneficiaries.
By Annex. 4
- On 06.03.2010** An application has been submitted by the petitioner before the Collector Madhepura regarding the revoke of suspension of the said PDS license.
By Annex. 7
- On 27.09.2010** The Hon'ble High Court has passed an order/direction to the petitioner in CWJC no. – 5260 of 2010 in which liberty has been granted to the petitioner, after the concluding of the criminal

and petitioner will apply to the authority concern for recall
of the suspension of PDS license **By Annex. 8**

On 02/04/2014 The Hon'ble District Judge, Madhepura, Madhepura District, Bihar, on 02/04/2014 and passed a final judgment in favour of the petitioner by which the petitioner has been awarded as acquittal from the said case. **By Annex. 9**

On 19/05/2014 Petitioner has filed an application along with the Hon'ble High Court order or direction dated 27/09/2010 and the final judgment dated 02/04/2014 of SDJM Madhepura, before the SDO, Madhepura for revoke the suspension of the said license on 26/02/14. The authority in accordance with law but the said authority has directed to the petitioner to bring out the order of Hon'ble High Court regarding the revoke of suspension of the said license after acquittal from the said case.

Hence, this petition.

Ranjit Jha,

Attorney for the Petitioner

A.O.R. No. 05074

Handwritten marks at the top of the page.

In the High court of Judicature Patna

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No.

of 1972

In the matter of an application under

Article 226 of the Constitution of India

vs.

In the matter of :

1. The State of Bihar, 2. The District Supply Officer, Ghailar, Dist. - Madhepura, 3. The District Supply Officer, Ghailar, Dist. - Madhepura, 4. The District Supply Officer, Ghailar, Dist. - Madhepura, 5. The District Supply Officer, Ghailar, Dist. - Madhepura.

Ghailar Dist. - Madhepura

vs. Respondents

vs.

1. The State of Bihar, 2. The District Supply Officer, Ghailar, Dist. - Madhepura, 3. The District Supply Officer, Ghailar, Dist. - Madhepura, 4. The District Supply Officer, Ghailar, Dist. - Madhepura, 5. The District Supply Officer, Ghailar, Dist. - Madhepura.
 1. The District Supply Officer, Ghailar, Dist. - Madhepura.
 2. The District Supply Officer, Ghailar, Dist. - Madhepura.
 3. The District Supply Officer, Ghailar, Dist. - Madhepura.
 4. The District Supply Officer, Ghailar, Dist. - Madhepura.
 5. The District Supply Officer, Ghailar, Dist. - Madhepura.
- Respondents**

To,

The Hon'ble Justice Mr. Balha M. Dasht, the Chief Justice of the High court of Judicature at Patna and her companion Justice of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf
of the petitioner named above:-

Most Respectfully Sheweth :-

1. **That this writ application is being filed for the following reliefs:-**
 - (i) For issuance of an appropriate writ, order/direction in the nature of 'Certiorari' to revoke and quash the letter bearing memo no. – 133 Z dated 24/06/2009 (Annexure – 1) passed by the Sub Divisional Officer, Madhepura whereby and where-under the PDS License no. – 35/93 has been suspended with effect from 24/06/2009.
 - (ii) For issuance of an appropriate writ, order/direction in the nature of 'mandamus' directing and commanding the concerned respondents to continue regular monthly allotment of provided materials under public distribution system for distribution among

beneficiaries as petitioner has come to distribute since 1993 without any adverse remarks.

(iii) For issuance of an appropriate writ, order/direction in the nature of mandamus directing and commanding the concerned respondents to revoke the suspension of PDS licence no. – 35/93 on ground of the Police case has been concluded in favour of petitioner on 02/04/2013.

(iv) Such legal relief/reliefs may be granted to this petitioner for which he is entitled to.

2. That this writ application is maintained on amongst other following main grounds:-

(i) For that the petitioner is a licensed dealer under public distribution system bearing License no. – 35/93 within Madhepura sub division and district.

(ii) For that the said license of petitioner has been suspended by the SDO, Madhepura bearing memo no. – 132-2 dated 24/06/2009 on the basis of Police case bearing no. – 217 of 2009 which was concluded by the trial court SDJM Madhepura on 07/06/2009 under 7 E.C Act which has been concluded by the trial court SDJM Madhepura on 02/04/2014 (by Annexure – 9).

(iii) Further the Hon'ble High Court has also directed to the petitioner in C.W.J.C No. – 5260 of 2010 order dated 27/09/2010, that after the concluding of criminal case against the petitioner the Licensee Authority must be recall the suspension of the said license.

(iv) For that petitioner has also submitted his representation on 10/05/2014 along with the acquittal order dated 02/04/2014 passed by SDJM, Madhepura and Hon'ble High Court order dated 27/09/2010 of CWJC no. – 5260/2010 for revoke of the suspension of PDS license no. – 35/93 of petitioner and continued right to carry out allotment of provide materials under PDS

(v) For that many other good grounds shall be urged at the time of hearing of the writ application.

3. That the petitioner is citizen of India and resides within the jurisdiction of this Hon'ble Court.

4. That it is stated that the petitioner is a licensee dealer of PDS in Mohanpur Village under Bardah Panchayat, Block Ghailar, P.S – Ghailar, Dist. – Madhepura, bearing license no. – 35/93.

5. That it is stated that on the information of P.S. Ghailar, Madhepura, P.S Case no. – 217/2009 dated 07/06/2009 has been lodged for unauthorized of

30.00 sq.mt. in the godown situated outside entrance shop of the petitioner due to beyond the capacity of said godown

6. That it is stated that in light of Madhepura P.S case no. – 217/2009 the SDO, Madhepura has suspended the said PDS license of the petitioner with effect from 24/06/2009 vide memo no. – 133-2 dated 24/06/2009.

A photocopy of memo no. – 133-2 dated 24/06/2009 is annexed herewith and marked as Annexure – 1 to this petition.

7. That it is stated that prior to passing the suspension order the learned SDO Madhepura asked show-cause from the petitioner vide memo no. – 390-2 dated 02/06/2009 within 24 hours.

A photocopy of memo no. – 390-2 dated 02/06/2009 is annexed herewith and marked as Annexure – 2 to this petition.

8. That it is stated that in response of annexure – 2 petitioner has filed his reply immediately on 05/06/2009.

A photocopy of letter no. dated 05/06/2009 is annexed herewith and marked as Annexure – 3 to this petition.

9. That it is stated that after suspension of said license under the instruction of BSO, Ghailar, the allotted grain has already been distributed among the antoday and BPL beneficiaries through Nageshwar Choudhary the other dealer. Which has been informed to the SDO, Madhepura by BSO, Ghailar vide letter no.- 134 dated 24/08/2009.

A photocopy of letter no. – 134 dated 24/08/2009 is annexed herewith and marked as Annexure – 4 to this petition.

10. That it is stated that in light of BSO order the other BPS dealer, Nageshwar Choudhary distributed the allotted grains stored in shop and residence of petitioner on 14/08/2009 and he had handed over Rs.63,950 to the petitioner.

A photocopy of letter dated 14/08/2009 of Nageshwar Choudhary

to the said BSO is annexed herewith and marked as Annexure – 5 to this petition.

11. That it is relevant to say that the annexure – 4&5 shows that petitioner has not committed any black marketing of allotted grain of PDS.

12. That it is stated that thereafter on 19/08/2009 and 06/03/2010 the petitioner filed an application before the SDO & Collector of Madhepura praying therein to revoke his suspension of PDS license no. – 35/93 as no black marketing of allotted grain has been committed by the petitioner, only for the purpose of safety of some parts of allotted grains has stored at his residence.

A photocopy of application dated 19/08/2009 and 06/03/2010 are annexed herewith and marked as Annexure – 6&7 to this petition.

13. That it is submitted that petitioner approached from pillar to post for redressal of his grievances but all went in vein hence petitioner has approached before the Hon'ble High Court by way of C.W.J.C No. – 5709/2009. After the said petition, the Hon'ble Court and an

order/direction has been passed to the petitioner that after the concluding of the Criminal case vide F.I.R No. – 237/2009 U/s – 7 E.C Act petitioner has approached before the authority to revoke the suspension of said license and the authority will do same.

A photocopy of order dated 21/09/2010 of C.W.J.C No. – 5259/2010 is annexed herewith and marked as Annexure – 8 to this petition.

14. That it is stated that on 02/04/2014 the criminal case has been concluded by the SDJM Madehpura, in which the petitioner has got acquittal and there is no any charged against him. Therefore the revoke of suspension of the said license with effect from 24/06/2009 is hereby requested.

A photocopy of order dated 02/04/2014 of G.R No – 808/2009 along with T.R No. – 1494/2014 is annexed herewith and marked as Annexure – 9 to this petition.

15. That it is relevant to say that on 19/05/2014 petitioner has filed an application along with affidavit before the SDO, Patna for redressal his grievances. But the SDO, Madhepura has orally directed to the petitioner to bring out an order from the Hon'ble High Court in purpose of the revoke of the suspension of PDS License. Which is beyond the rule of Bihar Control Order in concern of PDS License.

A photograph of application dated 19/05/2014 is annexed herewith and marked as Annexure - 10 to this petition.

16. That the petitioner left with no other alternative or equally efficacious remedy and moved to court, the Hon'ble Court for redressal of his grievance by way of filling this writ application.

17. That the petitioner has not moved earlier seeking similar relief before this Hon'ble Court.

It is therefore prayed that your lordships may graciously be pleased to issue an order directing the respondents to show-cause as to why

the reliefs sought for in this writ application be not allowed to the petitioner and upon return of the rule, cause shown if any and after hearing the parties further be pleased to revoke the suspension of PDS license of District and to allow the same to be renewed and further be pleased to direct the concerned respondents to allot the regular monthly allotment of food grains and other materials for distribution among the consumer to the petitioner and allow this writ application.

And/Or

Pass such other order/orders as your wisdom may deem fit and proper.

And for this, the petitioner shall ever pray.

 Plaintiff,

 Advocate for the Plaintiff.

A.O.B. No. 05074

Attidavit

I, **Ram Narayan Sah**, Age - about 44, S/O - **Akhil Sah**, P/O - **Vill - Bardaha, Tola - Mohanpur, P.S - Ghailar, Dist. - Madhepura**, do hereby

- i. That, I am sole petitioner in this petition and as such well acquainted with the facts and circumstances of this petition alongwith annexure and synopsis
- ii. That, the contents of this petition have been read over and explained to me in Hindi, which I have fully understood and the same are true to my knowledge and belief.
- iii. That, the statement made in paragraph no. are true to my knowledge, those made in paragraph no. are true to my information derived from the record and the rest are by way of submission.
- iv. That the annexures are true/Photocopies of the originals.

प्रबंध आपूर्ति पदाधिकारी, कुमायूँड-सह-जॉय पदाधिकारी द्वारा दिनांक 02.06.09 को श्री राम नारायण साह, सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता पंचायत बरदाहा प्रबंध पैलाट की दुकान की जाँच की गई। जाँच में पाई गई अनियमितता के आरोप में श्री साह से स्पष्टीकरण की माँग की गई थी। परन्तु विक्रेता श्री साह द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब कार्यालय में जमा नहीं किया गया। फ़ासवस्व कार्यालय के पत्रांक 396-2 दिनांक 05.06.09 के आलोक में प्रबंध आपूर्ति पदाधिकारी, पैलाट ने अपने पत्रांक 80 दिनांक 07.06.09 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि श्री राम नारायण साह, सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता पंचायत बरदाहा प्रबंध पैलाट के निरुद्ध अनुदायित बालान्न की कारवाही करी एवं कालाबाजारी करने हेतु बालान्न को अन्य जगहों पर रखने के आरोप में आदेश वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-07 के तहत स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। जिसका थाना कांड संख्या-217/09 है। उनके द्वारा उक्त प्रतिवेदन में श्री साह के निरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने हेतु अनुमंसा की गई है।

अतः प्रबंध आपूर्ति पदाधिकारी, पैलाट के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 की कंडिका 7 § 11.1 § में निहित प्रावधान के अन्तर्गत श्री राम नारायण साह, सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता पंचायत बरदाहा प्रबंध पैलाट की अनुज्ञप्ति संख्या-35/93 को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

अनुमंडल पदाधिकारी,
मधेपुरा

आपांक...133-2.../आ0 मधेपुरा, दिनांक...24.06.09

प्रतिलिपि-श्री राम नारायण साह सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता पंचायत बरदाहा प्रबंध पैलाट को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-प्रबंध आपूर्ति पदाधिकारी, पैलाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि-जिला प्रबंधक राज्य जाल निगम सहरसा/ सहायक मोदाम प्रबंधक राज्य जाल निगम मधेपुरा/ मेसर्स मेधराज सराफ़ शौके किरासन तेल विक्रेता मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
मधेपुरा

आर्य समाज के अग्रणी पदाधिकारी संघ
दिल्ली 390-2

श्रीमान

श्री (1) सादर प्रार्थना है
कि आपकी सेवा में आने के लिए
आपको आमंत्रित किया जाता है।

दिनांक 26.09 को आर्य समाज के अग्रणी पदाधिकारी संघ
के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति का
आपको आमंत्रित किया जाता है। कार्यक्रम का
समय 10:00 बजे होगा। कार्यक्रम का
स्थान आर्य समाज के अग्रणी पदाधिकारी संघ
दिल्ली-390-2 होगा। कार्यक्रम का
समय 10:00 बजे होगा। कार्यक्रम का
स्थान आर्य समाज के अग्रणी पदाधिकारी संघ
दिल्ली-390-2 होगा। कार्यक्रम का
समय 10:00 बजे होगा। कार्यक्रम का
स्थान आर्य समाज के अग्रणी पदाधिकारी संघ
दिल्ली-390-2 होगा।

आपका आभार है कि आप हमारे कार्यक्रम में
आपकी उपस्थिति का आभार है कि आप हमारे
कार्यक्रम में आने के लिए हमें सूचित करेंगे।
आपकी उपस्थिति का आभार है कि आप हमारे
कार्यक्रम में आने के लिए हमें सूचित करेंगे।

आर्य समाज के अग्रणी पदाधिकारी संघ
दिल्ली-390-2

सेवा में,

पीयान् अपूर्ति पदाधिकारी,
महाप्राय,

महाप्राय,

महाप्राय

आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा भवन निर्माण के अर्थ में प्रेषित किया गया पत्र
पढ़ने के बाद मैंने पत्र पढ़ा और मैंने देखा कि पत्र में जो बातें लिखी हैं
निवास स्थान पर भवन निर्माण के अर्थ में प्रेषित किया गया पत्र
में जो बातें लिखी हैं उनमें से कुछ बातें सही हैं और कुछ बातें गलत हैं
की संभावना व्यक्त की गई है।

W
W/AM/1

इस सम्बन्ध में मैंने देखा कि इस भूखण्ड 78.60 वर्ग 52.40
+ 60.00 कुं 191.00 वर्गफुट) विस्तार का है। इसका जमीन का
किया था उसे रखने की कमत में भवन निर्माण के अर्थ में
संभारित करवाया जो उसे भवन में ही रखकर ही भवन का
बूटा काटने एवं बरसात में शीथी होने का खतरा पड़ने का
बुझा देणु उसे जाने से बचाया जा सके। मैंने देखा कि भवन
मानववृद्धर अनुसूची की शर्तों के अन्तर्गत ही भवन का
नियत से घर पर छुपाकर रखा जा सके। मैंने देखा कि भवन
मनाखानादारी में भवन का निर्माण होना भी भवन का
का उल्लंघन करता है। मैंने देखा कि भवन का निर्माण
सुरक्षा की नीति से ही करने पर ध्यान देना चाहिए।

महाप्राय, मैंने देखा कि भवन का निर्माण भवन का
सबसे अधिक भवन का निर्माण भवन का निर्माण भवन का
धातु है जो मैंने नहीं किया, जो कि भवन का निर्माण भवन का
आवृत्ति देता है कि भवन का निर्माण भवन का निर्माण भवन का
होगी।

अन्त में मैंने देखा कि भवन का निर्माण भवन का निर्माण भवन का
सभी अलिक सुरक्षा का भवन का निर्माण भवन का निर्माण भवन का
मुझे माफ किया जाय।

विभागाध्यक्ष,
रामजीरामा दाह
516169
महाप्राय
महाप्राय
महाप्राय

26/1/2019

पत्रांक 134 15-11-2018/51/5/

प्रमुख

शेखर खोसले, महाराष्ट्र

सौजन्य

अनुसंधान परियोजना

RESEARCH
PROJECT

विषय - श्री शेखर खोसले यांना अर्थशास्त्रातील मूलभूत प्रश्नांचे उत्तर देण्यासाठी आणि त्यांच्या एम.फिल. यादीतील प्रश्नांचे उत्तर देण्यासाठी 34 प्रश्नांच्या वेळीची निवडीत नवीन प्रश्नांची यादी तयार करणे ही सहाय्यीक मागील मुदतीच्या वेळीच तयार करणे याबाबतची सूचना.

महत्त्व - शासनाने 2018-19 या वर्षीच्या अर्थसंहितेच्या अंश 20/2018 मध्ये असा आदेश देऊन यासाठी नियुक्ती करून घेतली आहे.

उपरोक्त विषयावर एक प्रासंगिक परीक्षा म्हणून डिप्लोमा व्हाईस-व्हाईस

का करण्यात येईल. याबाबतच्या सूचना आणि नवीन प्रश्नांची यादी यास लागू असतील. शासनाच्या वेळीच किंवा वेळोवेळी असावे. एम.फिल. यादीतील प्रश्नांचे उत्तर देण्याच्या बाबतीत प्रत्येकी 164 कोटी रु. 200 रु. 155 कोटी रु. याप्रमाणे खर्च किंवा ही खर्च रु. याबाबतची सूचना आयोगाच्या वेळीच करावी. याबाबतची सूचना आणि नवीन प्रश्नांची यादी तयार करणे ही सहाय्यीक मागील मुदतीच्या वेळीच तयार करणे याबाबतची सूचना.

वेळीच वेळीच असावे. एम.फिल. यादीतील प्रश्नांचे उत्तर देण्याच्या बाबतीत प्रत्येकी 164 कोटी रु. 200 रु. 155 कोटी रु. याप्रमाणे खर्च किंवा ही खर्च रु. याबाबतची सूचना आयोगाच्या वेळीच करावी. याबाबतची सूचना आणि नवीन प्रश्नांची यादी तयार करणे ही सहाय्यीक मागील मुदतीच्या वेळीच तयार करणे याबाबतची सूचना.

शेखर खोसले

अनुसंधान परियोजना - 2018-19
डिप्लोमा व्हाईस-व्हाईस
शेखर खोसले

श्रीमान् प्रवाण्ड आरति पुदाधिकारी महोदय
दस्तावे (नये कुने)

मैंने देखा है कि आपने जो भी पत्र विक्रेता करवा है, प्रका
दस्तावे श्री राम नारायण साह प्राणिकी दफ्तर में
के मंडार एवं काकाह में रखे गए हैं। निम्नलिखित
दस्तावेजों में से का नोट 10520=00 रु. का नोट 2000

का नोट 60.00 किंदा का नोट 29760=00 एवं
अन्वोधय नोट का न्यायान 7870 किंदा का नोट
23620=00 रु का वितरण किया। जिसका
कुल नोट 63950=00 (नोट्स 8 हजार नौ सौ पचास
रुपये) श्री राम नारायण साह प्राणिकी दफ्तर में
पत्र विक्रेता को हस्तगत किया।

नाम
म. न. 51
दि. 2/21
31/12/57
98/21.57

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी महोदय,
मधेपुरा, जिला-मधेपुरा।

विषय :- धेलाढ़ प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरदाहा के वन विभाग प्रणाला के अनुज्ञापत्तधारी सुरेश ठाकुर राम नारायण साह की अनुज्ञापित संख्या-35/1993 का निशुल्क वापस लेने के संबंध में।

महाशय,

निवेदन है कि मेरे विषय प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, धेलाढ़ ने मधेपुरा थाना कांड सं. 217/2009 दिनांक 07.06.09 को ई.सी.एक्ट की धारा 7 के अन्तर्गत दबे कराया। उक्त मुकदमें में मेरे उपर आरोप था कि मैंने बी.पी.एल. तथा अंत्योदय के गेहूँ एवं चावल को दुकान के अलावे अपने घर में भी रखा तथा मेरे भंडार में पंजी ले कर गेहूँ एवं चावल पाया गया। इसी मुकदमें के आधार पर श्रीमान् के पत्रांक 133-2 आ. मधेपुरा, दिनांक 20.06.09 के द्वारा मेरी अनुज्ञापित को निलम्बित कर दिया गया।

दिनांक 02.06.09 को श्रीमान् द्वारा मुझे दुकान के अतिरिक्त घर में अन्न रखने के लिए कारण पूछा की जांग की गई थी, परन्तु उसमें अन्न की थोड़ी की चर्चा नहीं थी। मैंने दिनांक 05.06.09 को ही श्रीमान् के यहाँ कारण पूछा समर्पित कर निवेदन किया था कि मुझे बरदाहा ग्राम पंचायत के अलावे ~~सिक्किनी~~ भंतरंधा का भी गेहूँ, चावल उठाना पड़ा था तथा पूरा अन्न दो महीनों मार्च एवं अप्रैल, 2009 का था जिसे लिए मेरे दुकान में सफा नहीं की और मुझे घर में भी अनाज रचना पड़ा।

मेरे घर तथा दुकान में रखा हुआ गेहूँ एवं चावल भंडार पंजी में अंकित स्टॉक से कम नहीं था जिसे पुलिस ने भी पाया तथा श्रीमान् के पत्रांक 213-2 आ. मधेपुरा, दिनांक 27.07.09 के अनुपालन में कुल भंडारित गेहूँ एवं चावल को लाभार्थियों के बीच प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, धेलाढ़ ने भी वितरित किया।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मुझे धेलाढ़ एवं तब न्यायाधीश, मधेपुरा के आदेश द्वारा दिनांक 23.07.09 को ए.पी.सी. सं. 189/2009 में अंतिम अन्तर्गत विषय का निर्णय प्राप्त करने में सहायता दी जाती है।

मेरा नया निवेदन है कि मैंने अनुज्ञापित के तहत भी कार्टन का उत्सर्जन नहीं किया है तथा मेरे पास की गईं कि का तथा ही पंचायत का सागान आ जाने के कारण ही मैंने उक्त दुकान के अलावे घर में भी रखा। मेरे घर एवं दुकान में रहे कुल गेहूँ एवं चावल भंडार पंजी के अनुसार बिल्कुल सही थे। मेरे उपर कालाबाजारी का भी कोई आरोप नहीं है।

मैं पिछले 16 वर्षों से अज्ञातपिठारी हूँ तथा आज तक किसी लाभार्थी ने मेरे विषय कोई विज्ञापन नहीं की है और न किसी ने इस विषय में भीतर-बाहर कुछ किया है।

अतः प्रार्थना है कि मेरे विषय-संबंधित अज्ञातपिठारी का निरामयत वापस लेने का आदेश देने की कृपा की जाय।

प्रार्थी,

ब्रह्म नारायण साहू

दिनांक : 19/8/2009

पिता का नाम स्व. अश्वनी साह,
मुकाम अज्ञातपिठारी बंगला,
ग्राम पंजाबत-बरदाहा,
प्रखंड-बैलाट, जिला- गोंयपुरा,
अज्ञातपिठारी संख्या-35/1993

19/8



सेवा में,

श्रीमान् जिला पदाधिकारी महोदय,
मधेपुरा ।

विषय : जन वितरण पणाली के अस्तर्गत अनुसूचित सं. 3/93 के निलंबन को मुक्त करने के संबंध में ।

माननीय,

निवेदन करना है कि मेरा अनुसूचित सं. 3/93 ग्राम पंचायत बरदाहा, प्रखंड - पैलाड़, थाना पैलाड़, जिला मधेपुरा में आवंटित योग्य सामग्री को प्रकृत गोदाम की धारिता के अतिरिक्त को उपरोक्त आवंटन पर तत्काल सुरक्षित रख दिया । इसी क्रम में माननीय अयुक्त महोदय, मधेपुरा ने निरीक्षण करने पहुँचा । बार-बार कहने पर कि उक्त सामान का कोठ में उपरोक्त धारिता सुरक्षित रखा है, उन्होंने इसकी जासका स्पष्टीकरण मुझ से पूछा गया । जवाब में पूर्ण सत्यता पूर्ण की जाई दी । फिर भी उन्होंने नहीं माना और मेरे उपर 7 डी.पी.एन. वृत्त प्राथमिकी दर्ज करवा लिये जो एक विवरण सं. 3/93 के अनुसूचित सं. 3/93 को तत्काल प्रभाव से निलंबन कर दिया गया ।

जन वितरण एकीकरण नियम 1985 के धारा 11 के तः 90 नत्वे १ दिन से अधिक कोई भी अनुसूचित निलंबित नहीं रह सकती

अतः श्रीमान् के प्रार्थना है कि मेरे अनुसूचित को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाय ।

प्राथी
राम नारायण साह

ग्राम पंचायत बरदाहा
प्रखंड - पैलाड़, तहसील सं. 3/93
जिला - मधेपुरा ।

NO 06/03/2010

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

CWJC No.5260 of 2010

RAM NARAYAN SAH S/O LATE AKLU SAH R/O VILL.-
BARDAHA, TOLA, MOHANPUR, P.S. GHAILAR, DISTT.
MADHEPURA.

.....PETITIONER.

.....

1. THE STATE OF BIHAR
2. THE DISTRICT MAGISTRATE, MADHEPURA
3. THE DISTRICT SUPPLY MANAGER, MADHEPURA
4. THE SUB DIVISIONAL OFFICER, MADHEPURA
5. THE BLOCK SUPPLY OFFICER, GHAILAR, DISTT.-
MADHEPURA.

.....RESPONDENTS.

For the petitioner : Mr. Manoj Kumar, Advocate.
 For the State : Mr. Indrajeet Bhusan, A.C. to G.P 22.

00 27.09.2010

 Learned counsel for the petitioner and
 learned counsel for the State of Bihar and its authorities.

2. This writ petition has been filed by the petitioner challenging order dated 24.06.2009 by which Sub-divisional Officer, Madhepura (respondent no.4) suspended Public Distribution System License bearing no. 55 of 1995 of the petitioner on the ground that a criminal case for offence punishable U/s 7 of the Essential Commodities Act 1955 is pending against the petitioner and others.

3. Considering the facts and circumstances of this case as well as provision of Clause-7(iii) of Government of Bihar, Food Supply & Commerce Department, Public Distribution System (Control) Order, 2001, this court does not find any reason to interfere with the impugned order. However after the criminal case against the petitioner is disposed of, the petitioner will be

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE
 DISTRICT COURT
 MADHEPURA
 27.09.2010
 20100927
 20100927
 20100927

at liberty to approach the authority concerned for recall
dispose of the same in accordance with law.

4. With the aforesaid observation/direction,
the petition is disposed of;

Ranjan

(S.N. Hussain, J.)

[Handwritten signature]
JANUARY 10 1971
6, 30 9 10
S. N. HUSSAIN, J.

[Faint handwritten notes]
31/6/71

9.4.14 2014

[Handwritten signature]

जिला :- मधेपुरा ।
न्यायालय :- अनुमंडल न्यायालय, मधेपुरा,

आयुक्त :- सी. प्रसाद - V
अनुमंडल न्यायालय, मधेपुरा,

संख्या-
आगतिय संजी १जी० आर० सं०-808/2009
विचारण सं०-आर- सं०-1494/2014
मधेपुरा जिला संख्या-217/2009
मधेपुरा, दिनांक :- 02 अप्रैल, 2014

374/50
17/4/14

राज्य की ओर से राम प्रसाद साह सुक / अभियोजन
वनाम्

1. राम नारायण साह उम्र लगभग 50 वर्ष
नवाली ग्राम-बरदाहा टोला मोहनपुर, थाना-मधेपुरा, जिला-
मधेपुरा अभियुक्त ।

आरोपित धारा :- 07 आवश्यक वस्तु अधिनियम ।

राज्य की ओर से :- श्री मंलु अलम, एस.डी.पा.ओ.
अभियुक्त की ओर से :- श्री जवाहर सा, अधिवक्ता ।

निर्णय
====

1. अभियुक्त राम नारायण साह ने 08-11-09 को साह, जन वि०
प्रणाली तन्त्रेता संवायत बरदाहा प्रखंड पैलाड जिला मधेपुरा उपरोक्त
मुकदमा में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-7 के अंतर्गत अनाधिकृत
आरोप में त्वारण का सामना करे हैं । न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध
आरोप गांठ कर उन्हें हिन्दी भाषा में समझाया गया, जिसपर उनके द्वारा
दोष स्वीकार किया गया एवं त्वारण का दावा रद्दवा गया ।

2. हाई के सुक राज. प्रखंड साह, प्रखंड अधिकारी, पैलाड
जिला मधेपुरा के हाई संख्या थाना प्रभारी,
पैलाड को संबोधित आवेदन दि०-06-09 के अनुसार अभियोजन का हाई
है कि दि०-26-09 को 12.25 बजे तदन में अनुमंडल न्यायाधीश, मधेपुरा

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE & PROHIBITION DEPT.
MADHEPURASOORE, MADHEPURA
COURT FEE
Stamp Duty
00000
RS 000005
17.4.2014
Bihar Judicial
Stamp
374/50
INDIA
Authorizaton No. 2037

12.4.14

12.4.2014

नहीं देने का उद्यत किया गया ।

5. मेरे न्यायालय के समक्ष पुराने विचारणीय प्रश्न है कि क्या अनुभव के तर्क से स्थापित किया जा सकता है कि धारा-7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराध के आरोप को समस्त युक्तियुक्त सिद्धियों के परे जानबूझकर नकारा जा सकता है अथवा नहीं ?

संक्षेप
===

6. आभिलेख के अन्वये से प्रतीत होता है कि न्यायालय के पूर्व पीठासीन पदाधिकारी श्री जगन्नाथ राम के न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्ष्य के प्रक्रम पर अभियोजन की ओर से हुए 5 साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया, जिनमें अभियोजन साक्षी सं०-1 नागेश्वर चौधरी, साक्षी सं०-2 वैजनाथ चौधरी, साक्षी सं०-3 जगन्नाथ चौधरी, साक्षी सं०-4 प्रभुधन चौधरी तथा अभियोजन साक्षी सं०-5 रामप्रसाद साहू हैं । विधान न्यायालय उपरोक्त के स्थानान्तरण के पश्चात् द्वारा न्यायालय का पद भार दि०-19-6-13 को ग्रहण किया गया । मेरे पद भार ग्रहण करने के पश्चात् आभिलेख सर्व-प्रथम दि०-8-7-13 को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया । चूंकि धारा-7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध संबंधित विचारणाय मामला रहने की दशा में मेरे न्यायालय द्वारा न्यायालय के पूर्व पीठासीन पदाधिकारी द्वारा संबंधित किये गये अभियोजन साक्षी सं०-1-ता-5 उपरोक्त के साक्ष्य पर कोई कार्यवाही किये जाने की अधिकारिता द० प्र० सं० की धारा-326 के तहत प्राप्त नहीं रहने की दशा में मेरे न्यायालय द्वारा उपरोक्त परीक्षित किये गये अभियोजन साक्षी सं०-1-ता-5 संबंधित आरोप-पत्र के बंडका-13 में वर्णित समस्त साक्षियों पर साक्ष्य हेतु तम्बल निर्गत किया गया । तत्पश्चात् संबंधित समस्त साक्षियों के विरुद्ध साक्ष्य हेतु तम्बल निर्गत किया गया एवं संबंधित साक्षियों को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य हेतु उपस्थित कराने के संबंध में जिला पदाधिकारी एवं आरक्षक अधीक्षक को पत्र भी निर्गत किया गया तथा संबंधित विधान एल.डी.पी.ओ. को अपने स्तर से भी

02-4-2014

26

[Handwritten signature]

जब उन न्यायालय के समक्ष आमयोजन या विधिक जांचपत्रों को परीक्षा कराये जाने की प्रक्रिया में पूरा तरह से असाहज हो रचना प्रभाव होता है ।
 परामर्शगत: आमयोजन का प्रस्तुत पाप तर्क्य अभ्युक्त राम नारायण साह
 पुरी तरह से आमयोजन समय के अभाव का हानि-नास्त होकर रह जाता है ।
 ऐसी प्रथा में अभ्युक्त को दोष मुक्त नकवा जाना ही न्याय हित में समीचीन
 प्रभाव होता है । फलतः

आदेश

9. अभ्युक्त राम नारायण साह को आवश्यक वस्तु अधि० की धारा-7 के दंड से दैनिक अपराध के आरोप के आमयोजन समय के अभाव में दोष मुक्त किया जाता है तथा उन्हें तथा उनके जमानतदारों को जमानत अंश-पत्र के प्राप्ति के अनुसूक्त किया जाता है ।

भरे द्वारा लेखापित, शुद्धित एवं
 न्यायालय में उद्घोषित ।

[Handwritten signature]
 १ जेम प्रकाश - ५८
 अनु० न्या० दण्ड०,
 भेषपुरा ।

[Handwritten signature]
 १ जेम प्रकाश - ५८
 अनु० न्या० दण्ड०,
 भेषपुरा ।

दिनांक :- 02.4.2014

दिनांक :- 02.4.2014

[Handwritten signature]
 19.4.14

[Handwritten signature]
 19.4.14

अथ योऽपि कश्चिदपि ज्ञानं विना भक्त्या
तदा भक्त्या भक्त्या भक्त्या भक्त्या

अथ योऽपि कश्चिदपि ज्ञानं विना भक्त्या
तदा भक्त्या भक्त्या भक्त्या भक्त्या

अथ योऽपि कश्चिदपि ज्ञानं विना भक्त्या
तदा भक्त्या भक्त्या भक्त्या भक्त्या

अथ योऽपि कश्चिदपि ज्ञानं विना भक्त्या
तदा भक्त्या भक्त्या भक्त्या भक्त्या

अथ योऽपि कश्चिदपि ज्ञानं विना भक्त्या
तदा भक्त्या भक्त्या भक्त्या भक्त्या

अथ योऽपि कश्चिदपि ज्ञानं विना भक्त्या
तदा भक्त्या भक्त्या भक्त्या भक्त्या

अथ योऽपि कश्चिदपि ज्ञानं विना भक्त्या

अथ योऽपि कश्चिदपि ज्ञानं विना भक्त्या
तदा भक्त्या भक्त्या भक्त्या भक्त्या

अथ योऽपि कश्चिदपि ज्ञानं विना भक्त्या
तदा भक्त्या भक्त्या भक्त्या भक्त्या

10/5/2014

अथ योऽपि कश्चिदपि ज्ञानं विना भक्त्या
तदा भक्त्या भक्त्या भक्त्या भक्त्या

साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर परीक्षित कराये जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया एवं उन्हें संबोधित आवेदन-क्रमांक नं० 13/2014 परीक्षा कराया गया एवं अभियोजन पक्ष को अपने उत्तर से मा. साक्षी प्रस्तुत करने हेतु अनुश्रुत अंतिम अवसर, पुनः अंतिम अवसर तथा पुनः अंतिम अवसर प्रदत्ता गया। इतना सब के बावजूद मा. अभियोजन पक्ष की ओर से पूर्व में परीक्षित कराये गये अभियोजन दस्तावेज सं०-1-ता-5 सहित आरोप-पत्र के क्रमांक-13 में दर्ज अन्य साक्षियों को मा. साक्षी भरे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर परीक्षित नहीं कराया जा सका गया है।

7. बहरु के प्रथम परीक्षा न्यायालय एम.डी.पी.ओ. द्वारा भौतिक तौर पर प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय के पूर्व पीठासीन पदाधिकारी के न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से साक्षी के सूचक सहित कुल 5 साक्षियों को परीक्षित कराया गया था, किन्तु सामान्य संदिग्ध विचारणीय होने की दृष्टि से पूर्व में परीक्षित कराये गये पाचों साक्षियों हित अन्य साक्षी भी उनके व्यक्तिगत प्रयास के बावजूद भी साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हो सके हैं।

अभियुक्त के विधान अधिवक्ता द्वारा बहरु के प्रथम परीक्षा तौर पर प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय के पूर्व पीठासीन पदाधिकारी द्वारा लिपिबद्ध कराये गये पाचों साक्षियों को साक्ष्य पर इस विधान न्यायालय से द० प्र० सं० की धारा-326 के तहत कार्यवाही करने की अधिकारता प्राप्त है नहीं है। विधान न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद भी एक भी साक्षी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर परीक्षित नहीं कराया जा सका गया है। ऐसी दृष्टि में अभियोजन या प्रस्तुत वाद विरुद्ध अभियुक्त पूरी तरह से अभियोजन साक्ष्य के अभाव में ही साबित होकर रह जाता है। विधान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को दोष मुक्त किये जाने का निर्देदन किया गया।

2/02/2014

8. भरे द्वारा उस पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्कों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त वादों संबंधित सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट नजरलक्षित होता है

एवं प्रकृष्ट आपूर्ति वती धरार, कुमारके द्वारा राम नारायण साह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता पदाधिकारी बरवाहा प्रखंड-दिल्ली जिला-मेसुरा में जन वितरण प्रणाली के दुकान का औद्योगिक नगराण किया गया । वितरण के समय विक्रेता उपस्थित थे । मंडार पंजी के अनुसार अंत्योदय गेहूं 52.80 क्वि0 एवं चावल 79.20 क्वि0 तथा सी.पी.एस. गेहूं 60 क्वि0 अंकित पाया गया । विक्रेता के मंडार में कुल 164 बीरा गेहूं एवं 153 बीरा चावल पाया गया । विक्रेता द्वारा अनुज्ञापन स्थान से हटाकर निवास स्थान पर दो जगहों पर दो जल-अस भाग में खापान्नी को रखा गया था, जिसकी सूची अनुज्ञापन पदाधिकारी तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को नहीं दी गई थी । विक्रेता द्वारा मंडारण पंजी एवं मंडारण के क में अंकि सत्यापन में खापान्नी का 30.80 क्वि0 गेहूं एवं 02.70 क्वि0 चावल कम पाया गया । विक्रेता द्वारा अनुदानित खापान्नी को बालाबाजारी एवं बालाबाजारी करने हेतु खापान्नी को अन्य जगहों पर रखकर रक्षा अनुज्ञापित शर्तों का उल्लंघन है । अनुज्ञापन पदाधिकारी के पत्रांक-390 सी. दिनांक-5-6-09 द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने हेतु अनुमति प्राप्त है । जपती सूची एवं जन्म-नामा की प्रति आवेदन के साथ संलग्न है ।

3. सुबक के कांड संबंधी आवेदन के आधार पर कांड की औपचारिक प्राथमिकी मेसुरा प्रखंड जिला बरवाहा कांड सं0-217/09 अंतर्गत धारा-7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1962 अधिभुक्त राम नारायण साह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता पदाधिकारी किया गया । कांड के अनुसंधान-कार्य द्वारा अनुसंधानोपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धारा के अपराध का आरोप-पत्र सं0-338/09 को विधान मुख्य न्यायाधीश, मेसुरा के न्यायालय में समर्पित किया गया । विधान न्यायालय उपरोक्त धारा अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धारा के अपराध का संज्ञान लिया गया तथा वाद को विचारण एवं निष्पादन हेतु इस न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया ।

4. जामशेजल का तारक बन्द कर अभियुक्त का धारा-313 द0 प्र0 सं0 के तहत बयान दर्ज किया गया, जिसमें भी उनके द्वारा दोष अस्वीकार किया गया एवं अपने को निर्दोष होना बताया गया तथा कोई सफाई साक्ष्य

4/02/4-2014